न्यायालय : राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2014/I/निगरानी R-3816-II/14

श्री वीर सिंह जादौन अभि. द्वारा आज दि. 17-11-14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 17-11-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1–फुल्ला पुत्र भोटू जाति चमार उम्र 60वर्ष निवासी जानपुरा तहसील व जिला श्योपुर
2–रामबती बेवा चिरोंजीलाल उम्र 40 वर्ष जाति चमार निवासी ग्राम जानपुरा तह. व जिला श्योपुर म.प्र.

............निगरानीकर्तागण

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

..............अनावेदक

न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय श्योपुर के प्रकरण कमांक 09/2003–04/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14.09.2004 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14.09.2004 के विरूद्ध निगरानी म.प्र.भूराजस्व संहिता के तहत।

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

निगरानी के संक्षिप्त में सार :– यह कि ग्राम जानपुरा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 7 क मिन रकबा 161 बीघा 5 बिस्वा जो राजस्व अभिलेख में चरनोई भूमि के रूप में दर्ज थी। शासन के आदेशानुसार ग्राम के हरिजन एवं आदिवासी ,भूमिहीन व्यक्तियों को बंटन करने के आदेश जारी किये गये थे उक्त आदेश के पालन में श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय श्योपुर के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 53/87–88/अ–60 आदेश दिनांक 25.02.31 से 8.450 हेक्टर भूमि एवं प्रकरण कमांक 82/99–2000/अ–60 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2000 से 2.00 हेक्टर भूमि तथा कलेक्टर महोदय श्योपुर के प्र.कं. 47/2000–01/अ–60 से आदेश पारित दिनांक 06.06.2001 से 9.00 हेक्टर भूमि चरनोई से काबिल काश्त में परिवर्तन की गई थी और उसी के आधार पर ग्राम के हरिजन आदिवासियों को पट्टे वितरण किये गये। न्यायालय प्रकरण कमांक 01/85–86/अ–19 से फुल्ला पुत्र भोटू चमार निगरानीकर्ता को पट्टा दिया गया था और उसी प्रकार न्यायालयीन प्रकरण कमांक 04/85–86/अ–19 से चिरोंजी, सीताराम,ब्रजमोहन, हरिशंकर पुत्रगण गज्जा चमार के पुत्रों को 1.003 हेक्टेर के पट्टे प्रदान किये गये थे। जबकि नियमानुसार ग्राम के सरदारों के पट्टे करने चाहिये क्योकि उक्त लोग जो ग्राम के मूलनिवासी भी नहीं है फिर भी उक्त लोगों को पट्टे जारी किये गये है जो निम्न प्रकार है:–

कमंशः.........2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–3816–दो/2014 जिला–श्योपुर

फुल्ला व अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री वीरसिंह जादौन उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला–श्योपुर के प्र. क्र. 09/2003–04/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14–09–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 16–07–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य	5/7/19